न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
बइजलास–श्री अर्चना व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 443/2019

वादी   बनाम   प्रतिवादीगण

1. महेन्द्रसिंह पुत्र आसुसिंह
2. छोटकंवर पत्नि आसुसिंह
   जाति– राजपूत
   निवासी–शैतानसिंहनगर
   तहसील– फलोदी
   जिला – जोधपुर

1. रोहित तेतरवाल पुत्र हजारीराम
   अवयस्क जरिये वाद मित्र
   वादी रामप्यारी पत्नि धुड़ाराम
2. मनोहरी पत्नि पेमाराम
3. सुरेश पुत्र हनुमानाराम
   जाति– विश्नोई
   निवासी – चिड़ी
   तहसील– फलोदी
   जिला – जोधपुर (राज.)
11. तहसीलदार फलोदी
   जिला–जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित –
श्री रेवतसिंह पातावत वादी की तरफ से

निर्णय

दिनांक 31/08/22

वाद के संक्षेप में तथ्य है कि वादीगण की क्रयशुदा कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नं. 4/7 रकबा 50 बीघा किस्म बारानी–3 सरहद मौजा चिड़ी पटवार हल्का मोटाई तहसील फलोदी में स्थित है वादीगण की काश्त भूमि के चिपता ही प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की खसरा नं. 4/4 रकबा 50 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि क्रय कर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के माफिक कब्जा प्राप्त कर खेत के चारो तरफ खूंटे गाड़कर तारबंदी की थी जो आज भी मौजूद है वादीगण की वादग्रस्त भूमि में नजरी नक्शा में बताये स्थान पर आवासीय ढाणी, पानी का कुण्ड एवं दक्षिण में रोड़ पर गेट लगाया हुआ है बावजूद इसके वादीगण के कब्जा काश्त को दरकिनार करते हुए राजस्व कर्मचारी द्वारा उनकी नक्शा में तरमीम गलत कर दी जबकि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि नजरी नक्शा संलग्न है। वादीगण की तरमीम करने से पहले नोटिस एवं सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। वादीगण सलग्न नजरी नक्शा के मध्य अपनी खसरा संख्या 4/7 रकबा 50 बीघा के खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण को गलत तरमीम के आधार पर कब्जा छोडने की धमकी देने पर वादीगण ने तरमीम दुरूस्ती घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, बाबजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

सहायक कलक्टर एवं दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

अमल में लाई गई। वादी संख्या 01 महेन्द्रसिंह पी– डब्ल्यू 1 है के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादीगण के नाम खसरा संख्या 4/7 रकबा 50 बीघा जमाबंदी ईएक्सपी–1 संवत् 2077–2080, नक्शा ईएक्सपी–2 से वादीगण की भूमि खातेदारी अभिलेख में दर्ज होना बखूबी साबित है। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का भली–भांति अवलोकन करने एवं वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के माफिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनो की भूमि ग्रेवल सड़क पर स्थित होना पाया जाता है। और किसी पक्षकार को सड़क की सुविधा से वंचित किया जाने का कोई भी प्रश्न नहीं है, वादीगण का वाद अभिलेख एवं प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है और वाद स्वीकार पाया जाता है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा सं. 4/7 रकबा 50 बीघा एवं खसरा संख्या 4/4 रकबा 50 बीघा ग्राम चिड़ी के बीच की तरमीम को निरस्त किया जांता है। वादीगण को खसरा संख्या 4/7 रकबा 50 बीघा का मांफिक नजरी नक्शा खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है। वादीगण के खेत खसरा 4/7 रकबा 50 बीघा नजरी नक्शा में बतायी भूमि के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण कोई दखल अंदाजी नहीं करे। तहसीलदार इसी मांफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती करे। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। डिकी पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 31/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
फलोदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या 443/2019

वादी

1. महेन्द्रसिंह पुत्र आसूसिंह
2. छैलकंवर पत्नि आसूसिंह
जाति– राजपूत
निवासी–शैतानसिंहनगर
तहसील– फलोदी
जिला – जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रोहित तेतरवाल पुत्र हजारीराम
अवयस्क जरिये वाद मित्र
दादी रामप्यारी पत्नि धूड़ाराम
2. मनोहरी पत्नि पेमाराम
3. सुरेश पुत्र हनुमानाराम
जाति– विश्नोई
निवासी – चिड़ी
तहसील– फलोदी
जिला – जोधपुर (राज.)
11. तहसीलदार फलोदी
जिला–जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित –
वाद संख्या 443/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्री रेंवतसिंह पातावत अधिवक्ता मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी स्वीकार किया जाकर खेत खसरा सं. 4/7 रकबा 50 बीघा एवं खसरा संख्या 4/4 रकबा 50 बीघा ग्राम चिड़ी के बीच की तरमीम को निरस्त किया जाता है। वादीगण को खसरा संख्या 4/7 रकबा 50 बीघा का मांफिक नजरी नक्शा खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा।

बाबत

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व भाहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अंदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3|माह 08|सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फर्स्ट ट्रैक) फलोदी
ओहदा

मोहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनतनामा वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमी नर			फीस कमी नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा मिजान			बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान		